

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15()14/श्रम/प्रमुवसं/ 185-201
निमित्त,

दिनांक 03/02/16

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
(वन्य जीव)जयपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
विभागीय कार्य जयपुर/एफपीआरपी जयपुर/आरवीपी कोटा/एवं
प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषय:-वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी ई प्रकरणों के संबंध में राजस्थान राज्य मानव अधिकार
आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492

सन्दर्भ:-इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5055-77 दिनांक 28.12.15

महोदय,


प्रकरण में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने आदेशिका दिनांक 09.12.15 से विभाग
द्वारा अधिनस्थ कार्यालय के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र के संबंध में निम्न निर्देश दिये
है कि:-

“भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाया जाना शेष रहते
हुए गलत प्रमाण पत्र प्रेषित किया है ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे”

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के उक्त निर्देश के क्रम में यह सुनिश्चित कर लिया
जावे कि सेवानिवृत्त हो चुके अथवा वर्तमान में सेवा में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के बकाया टी ई
प्रकरण समस्त आवश्यक दस्तावेजो/विवरण/प्रपत्रो के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के
जिला कार्यालय को टी ई जारी करवाने हेतु भिजवा दिये गये है।

प्रकरण में समसंख्यक पत्र क्रमांक 5055-77 दिनांक 28.12.15 से बकाया टी ई प्रकरणों के
निस्तारण की रिपोर्ट माह में दो बार प्राप्त कर इस कार्यालय को उक्त पत्र के संलग्न प्रपत्र में ईमेल
एड्रेस dcfll@yahoo.in पर भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। एक माह उपरान्त भी उक्त सूचना एक
बार भी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है। अतः वांछित सूचना शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित
करावे।

भवदीय,



(ए.के.सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि

राज.जयपुर

क्रमांक:- एफ 15()14/श्रम/प्रमुवसं/ 202-301

दिनांक 03/02/16

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी को प्रेषित
कर लेख है कि आपके कार्यालय के बकाया टी ई के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में राज्य बीमा
एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्थानीय कार्यालय में सम्पर्क करें तथा प्रकरणों के निस्तारण के लिए
किसी प्रकार का आक्षेप हो तो उसे शीघ्र दूर करते हुये समस्त बकाया टी ई जारी करवाया जाना
सुनिश्चित करावे।

✓कम्प्यूटर अनुभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(ए.के.सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि

राज.जयपुर